न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़
पीठासीन अधिकारीः अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0नं0 47/अपील/21 तारीख दायरा :01.11.2021

उनवान अपील

01. रामकन्या बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी लालचन्द जाति पाटीदार निवासी ग्राम तीतरी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राजस्थान हाल मुकाम सालेडा कला पोस्ट रीछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान पिन 326519 ....अपीलांट

बनाम

01. भागवन्ता बाई पुत्री भेरूलाल पत्नी उंकारलाल जाति पाटीदार निवासी तीतरी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0 हाल मुकाम गुराडियाप्रताप पोस्ट सुवंसरा जिला मंदसौर मध्यप्रदेश

02. श्रीमती मानकंवर पुत्री स्व0 भुवानीराम पत्नी कंवरलाल जाति पाटीदार निवासी तीतरी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ हाल मुकाम नरसिंग गुराडिया पोस्ट बरखेड़ा तहसील गरोठ जिला मन्दसौर म0प्र0 (मृतका)

2/1. श्यामलाल माता मानकंवर पुत्र कंवरलाल जाति पाटीदार निवासी नरसिंग गुराडिया पोस्ट बरखेड़ा तहसील गरोठ जिला मन्दसौर म0प्र0

2/2 पूरनबाई माता मानकंवर पुत्र कंवरलाल पत्नी मुकेश पाटीदार जाति पाटीदार निवासी नरसिंग गुराडिया पोस्ट बरखेड़ा हाल मुकाम साजलपुर पोस्ट भानपुरा तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर म0प्र0

03. श्रीमती बालीबाई पुत्री स्व0 भुवानीराम पत्नी तेजाराम जाति पाटीदार निवासी तीतरी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ हाल मुकाम कुंडालिया चरणदास पोस्ट गरोठ जिला मन्दसौर म0प्र0

04. बसंताबाई पुत्री भुवानीराम पत्नी स्व मनोहरलाल पाटीदार निवासी तीतरी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ हाल नयापुरा खेड़ा तहसील तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0

2
जिला कलक्टर
झालावाड़

05. श्रीमती शांतिबाई पुत्री भुवानीराम पत्नी बाबूलाल जाति पाटीदार निवासी तीतरी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0 हाल दलपट पोस्ट सुंवासरा जिला मण्दसौर म0प्र0

06. मनोहरलाल वलद स्व0 भुवानीराम जाति पाटीदार निवासी तीतरी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0 राजरस्थान

07. श्रीमती गुड्डीबाई पुत्री स्व0 भुवानीराम पत्नी रमेश जाति पाटीदार निवासी तीतरी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0 हाल मुकाम कागलियाखेड़ी पोस्ट भानपुरा जिला मन्दसौर म0प्र0

08. रमेशचन्द वलद स्व0 भुवानीराम पत्नी रमेश जाति पाटीदार निवासी तीतरी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0

09. श्रीमती रूकमणी बाई पत्नी स्व0 मोहनलाल जाति पाटीदार निवासी तीतरी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0

10. श्रीमती राजीबाई पुत्री स्व0 मोहनलाल पत्नी डालूराम जाति पाटीदार निवासी तीतरी हाल मुकाम झुमकी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़

11. श्री कालूराम वलद स्व0 मोहनलाल जाति पाटीदार निवासी तीतरी पोस्ट तीतरवासा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0

12. श्री बालाराम वलद स्व0 मोहनलाल जाति पाटीदार निवासी तीतरी पोस्ट तीतरवासा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0

13. श्री बालाराम वलद स्व0 चेनराम जाति पाटीदार निवासी तीतरी पोस्ट तीतरवासा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0

14. श्यामलाल वलद स्व0 चेनराम जाति पाटीदार निवासी तीतरी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0

15. श्रीमती लीलाबाई पुत्री स्व0 चेनराम पत्नी शिवनारायण निवासी तीतरी हसल मुकाम नरसिंग गुराडिया पोस्ट बरखेड़ा गंगासा तहसील गरोठ जिला मंदसौर मध्यप्रदेश

16. राज0 सरकार जर्ये नायब तहसीलदार तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राजस्थान

...रेस्पोंडेण्ट्स

2
18/01
जिला कलक्टर
झालावाड़

अपील बनाराजगी ओदश नायब तहसीलदार झालरापाटन दिनांक 07.05.1981 जिसके द्वारा इंतकाल नं0 39 राजस्व अभियान केम्प तीतरवासा में मृतक भेरू वलद दौलतराम कुल्मी का तस्दीक किया गया।

उपस्थित :श्री विरेन्द्र सिंह सोनगरा अभिभाषक अपीलान्ट

:महेन्द्र सिंह झाला अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट

– :निर्णयः – दिनांकः 18.09.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोंडेण्ट 01 भागवन्ताबाई के पिता मृतक भैरूलाल एवं रेंस्पोंडेण्ट संख्या 2/1 श्यामलाल के दादा तथा पूरनबाई (2/2) के नाना है तथा रेस्पोंडेण्ट 03 लगायत 08 के दादाजी, रेस्पो0 09 के ससुर एवं 10 लगायत 15 के दादा मृतक भैरूलाल वलद दौलतराम जाति कुल्मी निवासी ग्राम तीतरी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ के सदस्यगण है की तत्कालीन खाता संख्या 29 कुल किता 11 रकबा 37 बीघा 03 बिस्वा एवं, खाता संख्या 53 कुल किता 03 रकबा 19 बीघा की कुल किता 14 कुल रकबा 56 बीघा 03 बिस्वा की खातेदारी आराजियात का फोती नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 07.05.1981 के द्वारा भवानीराम, मोहनलाल, चैनराम पिसरान भेरूलाल कुल्मी हिस्सा बराबर से साबिक नामान्तकरण संख्या 104 दिनांक 16.02.1973 जो तत्कालीन तहसीलदार झालरापाटन द्वारा तस्दीक होना बताया है जो नामान्तकरण की मूल भावना एवं तथ्यों के विपरित भवानीराम ने नायब तहसीलदार झालरापाटन से सांठगांठ करके अपना नाम भवानीराम बताकर नामान्तकरण में जुडवा तस्दीक करवा लिया, दोनों बहनों अपीलांट एवं रेस्पो 01 को बताया तक नहीं जबकि भवानीराम भेरूलाल की खातेदारी आराजीयात में से पहले ही अधिकार खो चुका था इसलिए नामा0 संख्या 39 रद्द होने योग्य है तथा प्रश्नगत आराजी में अपीलांट एवं रेस्पों0 संख्या 01 दोनो बहनों के 1/2 हिस्से पर निष्प्रभावी है। अपीलांट ने अपील में उल्लेख किया है कि नामा0 संख्या 104 दिनांक 16.02.1973 ग्राम तीतरी में हल्का पटवारी ने दिनांक 22.01.1973 की अपनी रिपोर्ट में 56 बीघा 03 बिस्वा कृषि आराजीयात के रूप में खातेदार भेरूलाल पुत्र दौलतराम कुल्मी का फोती इंतकाल उसी रोज दो पुत्र मोहनलाल एवं चेनराम के साथ पेश किया, तहसीलदार ने भवानीराम को उपस्थित नहीं पाया, समस्त वारिसान को एकसाथ पेश होने का आदेश दिया जाकर दिनांक 13.02.1973 को आई0एल0आर0 की रिपोर्ट सहित पेश किया गया जिसमें पटवारी रिपोर्ट अनुसार भवानीराम का मोतीराम पुत्र दोलतराम कुल्मी के यहां गोद जाना बताया गया है। भवानीराम ने अपने आप को मोतीलाल के यहां गोद जाना स्वीकार किया एवं भेरूलाल के दोनों लड़कों मोहनलाल एवं चेनराम का नाम खाता नं0 29 व 53 बांट बराबर से दर्ज करने का आदेश दिया इसलिए भी इंतकाल संख्या 39 दिनांक 07.05. 1981 जेर अपील रद्द होने योग्य है।

जिला कलक्टर
झालावाड़

भवानीराम ने बेईमानीपूर्वक मोतीलाल एवं भेरूलाल की आराजीयात हासिल करने के लिए अपने दो व्यक्तित्व भवानीराम व भवानीलाल पेश किये है जबकि भेरूलाल का सुलभी पुत्र भवानीराम ही है। सेटलमेंट विभाग की जमाबंदी सम्वत 2030 –2049 में भवानीलाल पुत्र मोतीलाल एवं सम्वंत 2046–2049 की जमाबंदी में भवानीराम पुत्र भेरूलाल पुत्र दर्शाया है जमाबंदी सम्बत 2050–2053 में भवानीलाल पुत्र मोतीलाल दर्शाया है जमाबंदी सम्वत 2054–2057 में भवानीलाल पुत्र मोती लाल और इसी नाम और वलदियत से खसरा नं0 460 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा का विक्रय सुशीलाबाई पत्नी राजाराम कुल्मी निवासी तीतरी को किया गया है। इस तरह से भवानीराम व भवानीलाल का भेरूलाल की आराजीयात में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहता इसलिए भी नामान्तकरण संख्या 39 जैर अपील रद्द होने योग्य है तथा वर्तमान रिकार्ड से हटाये जाने योग्य है। प्रश्नगत आराजी भेरूलाल के पुत्र मोहनलाल,चेनराम 2/3 हिस्से के हकदार नहीं बल्कि 1/4–1/4 हिस्से के हकदार है। अपीलांट और रेस्पो0 संख्या 01 भी 1/4 – 1/4 हिस्से की हकदार है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 39 ग्राम तीतरी दिनांक 07.05.1981 जैरअपील रद्द फरमावें एवं खाता संख्या 29 व 53 कुल रकबा 56 बीघा 03 बिस्वा कृषि आराजीयात के रिकार्ड में जो फेरबदल करवाया है उसे रद्द किया जावे।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में प्रस्तुत बिन्दुओं को दोहराते हुए बताया कि भवानीलाल, मोतीलाल पुत्र दोलतराम कुल्मी के यहां गोद चला गया था जिसके फलस्वरूप उसका मृतक भेरूलाल की आराजीयात पर कोई अधिकार नहीं रह जाता है। प्राप्त रिकार्ड अनुसार भवानीलाल ने मोतीलाल की आराजी में हिस्सा प्राप्त कर अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया गया है जिसका प्रस्तुत अपील पर कोई असर नहीं है। इंतकाल संख्या 39 में भेरूलाल के वारिसान अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 01 का हिस्सा छोड़ते हुए चेनराम व मोहनलाल का नाम दर्ज करते हुए नामान्तकरण खोला गया है जो विधि विरूद्ध होने से जैरअपील खारिज होने योग्य है तथा अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रश्नगत आराजी भेरूलाल की सुलभी पुत्रियों का नाम दर्ज नये सिरे से नामा0 खोले जाने के आदेश तहसीलदार तहसील झालरापाटन को दिये जावे।

जिस पर वकील रेस्पोंडेण्ट ने अपनी लिखित बहस में बताया कि अपील मियाद बाहर होने योग्य है लम्बे अरसे तक नामा0 को लेकर चुप रहना भी नामा0 स्वीकार किये जाने के समान है। इतने समय में कई व्यक्तियों का स्वर्गवास हो चुका है तथा इसके बाद भी कई नामा0 खुल रहे है जो कि फोती एवं बेचान के है जिससे आराजी कि स्थिति में काफी परिवर्तन हो चुका है तथा आराजी का विकास एवं किस्म परिवर्तन हो

2
18/07
जिला कलक्टर
झालावाड़

चुका है इसलिए अपील खारिज होने योग्य है। अपीलांट अपने एवं रेस्पो0 के परिजनों से कोई संबंध नहीं है ना ही अपीलांट द्वारा भेरूलाल की संतान होने का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट का विवादित आराजी पर कभी भी किसी भी तरह का कब्जा एवं दखल नहीं रहा है, अपीलांट द्वारा आराजी हड़पने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है जो खारिज होने योग्य है। अपील खारिज की जावे।

हमने प्रस्तुत अपील में वकील अपीलांट की बहस सुनी व वकील रेस्पोंडेण्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अध्ययन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अद्योपान्त अवलोकन किया। नायब तहसीलदार झालरापाटन द्वारा दिनांक 07.05.1981 को केम्प राजस्व अभियान ग्राम तीतरवासा में मृतक भेरूलाल पुत्र दौलतराम कुल्मी का इंतकाल तस्दीक करते समय पटवारी हल्का एवं भू0 अभि0 निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट जिसमें मोहनलाल व चेनराम का नाम भेरूलाल के वारिसान के नाम के रूप में सिफारिश की गई थी जिसके विपरित नायब तहसीलदार झा0पाटन ने पृथक भवानी का नाम अंकित कर इंतकाल स्वीकार किया गया है जो विधि विरूद्ध है क्योंकि भवानीराम पहले ही मोतीलाल पुत्र दोलतराम कुल्मी के यहां गोद चला गया था जिसको खुद भवानीराम ने स्वीकार किया है। ऐसे में प्रश्नगत आराजी में भवानीराम या भवानीलाल का हिस्सा भेरूलाल की आराजी में शेष नहीं रहता है साथ ही भेरूलाल की सुलभी पुत्रियां अपीलांट रामकन्याबाई एवं रेस्पोंडेण्ट 01 भागवन्ताबाई का नाम फोती इंतकाल में दर्ज नहीं किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 07.05.1981 खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं नामा0 संख्या 39 दिनांक 07.05.1981 खारिज किया जाता है तथा अपील अपीलांट इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि मृतक भेरूलाल पुत्र दोलतराम जाति कुल्मी के विधिक वारिसान को तलब कर बाद जांच सुनवाई की जाकर विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार नये सिरे से नामान्तकरण खोला जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार तहसील झालरापाटन को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसले में शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/09

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़